नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में ज

# यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 443/2022 निर्णय दिनांक :– 23.08.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

बंशरी पत्नी रामसहाय जाति गुर्जर उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

1. धर्मचन्द पुत्र रूघनाथ जाति खटीक उम्र बालिग निवासी दूनी तहसील दूनी जिला–टोंक राज0
2. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

– अप्रार्थीगण–

**उपस्थिति :–**
**श्री आलोक कुमार शर्मा**
**अधिवक्ता प्रार्थीया**

**इकबालिया जवाब**
**अप्रार्थी संख्या 1**
**पेरोकार सरकार**

## प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 52 ख0नं0 1295 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में आराजी ख0नं0 1823/1328 गै0मु0 रास्ता दर्ज है तथा ख0नं0 1296 रकबा 0.50 है0 भूमि वाके ग्राम सरोली अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि है तथा ख0नं0 1290 सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीया काफी वर्षो से अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर गै0मु0 रास्ता ख0नं0 1823/1328 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1296 एवं ख0नं0 1290 में से होकर आती–जाती रही है तथा उपयोग–उपभोग करती आ रही है तथा अपने कृषि संबंधी यंत्र भी इस रास्ते से होकर लाती ले जाती है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के खेत में जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। राजस्व रिकार्ड में आने–जाने का रास्ता नही होने के कारण प्रार्थीया को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रही है इसलिए प्रार्थीया को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने–जाने के लिए गै0मु0 रास्ता ख0नं0 1823/1328 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1296 एवं ख0नं0 1290 में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया नियमानुसार एवं आदेशानुसार

राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 52 ख0नं0 1295 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर आने–जाने के लिए गै0मु0 रास्ता ख0नं0 1823/1328 से अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि ख0नं0 1296 एवं ख0नं0 1290 में से होकर 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 स्वीकार है। राजस्व रिकार्ड में आराजी ख0नं0 1823/1328 गै0मु0 रास्ता दर्ज है तथा ख0नं0 1296 रकबा 0.50 है0 भूमि वाके ग्राम सरोली अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी संपरिवर्तित की भूमि है तथा ख0नं0 1290 सिवायचक दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 4 स्वीकार है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित चाहा गया रास्ता दिये जाने पर मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 5 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित चाहा गया रास्ता दिये जाने पर मुझ अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थीगण तहसीलदार की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी स्वयं की आराजी ख. नं. 1295 रकबा 0.16 है0 तक पहुंचने के लिए ख. नं. 1296, 1290 में से रास्ता चाहता है। प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। ख0नं0 1296 रकबा 0.50 है0 संपरिवर्तन भूमि है, जिसमें ख0नं0 1290 रकबा 1.80 है0 किस्म सिवायचक तक पहुंचने के लिये रास्ता उपलब्ध है, जिसमें से खातेदार रास्ता दिये जाने के लिए सहमत है इस हेतु खातेदार का सहमति शपथ पत्र संलग्न है। ख0नं0 1296 में रास्ता उपलब्ध होने के कारण ख0नं0 1290 में से प्रार्थी की आराजी ख0नं0 1295 तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रस्तावित किया गया है। ख0नं0 1290 में प्रस्तावित रास्ते की लंबाई 43 मीटर एवं चौडाई 9.14 मीटर यानि 393.02 वर्ग मीटर है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित कर दिया गया है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 1439532/– रूपये प्रति हैक्ट0 है। डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 113155/– रूपये होती है। आराजी खातेदारी ख0नं0 1295 रकबा 0.16 है0 प्रार्थीया की खातेदारी दर्ज हे। प्रार्थीया ख0नं0 1296 एवं 1290 में से रास्ता चाहती है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य में कोई संरचना पेड, दीवार आदि नहीं है। अप्रार्थी खातेदार ख0नं0 1296 रास्ता दिये जाने के लिये सहमत है तथा ख0नं0 1290 सिवायचक भूमि है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि अब्दुल रहमान प्रकरण से

...मावित नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिया संलग्न कर मय अभिशंषा के सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए धारा 251 क के प्रावधान अनुसार कृषक को अपनी जोत में जाने हेतु रास्ता दिया जाना कृषक हित के अनुसार आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 बहस में अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक व कोई वैकल्पिक रास्ता होना पेश किया है। आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, अन्य कोई कीमती मकान नही बताया है। ख. नं. 1290 सिवायचक भूमि है, जिसकी मेंड़ पर से होकर 30 फीट चौडे. रास्ते की मांग की है उक्त के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी में जाने के लिए कोई पहुंच मार्ग नहीं है और प्रार्थी की आवश्कता आत्यन्तिक है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 1296 रकबा 0.50 है0 संपरिवर्तन भूमि है, जिसमें ख0नं0 1290 रकबा 1.80 है0 किस्म सिवायचक तक पहुंचने के लिये रास्ता उपलब्ध हैं, जिसमें से खातेदार रास्ता दिये जाने के लिए सहमत है इस हेतु खातेदार का सहमति शपथ पत्र संलग्न है। ख0नं0 1296 में रास्ता उपलब्ध होने के कारण ख0नं0 1290 में से प्रार्थी की आराजी ख0नं0 1295 तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी को अपनी आराजी में पहुंचने के लिए रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने के कारण रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शित अनुसार ग्राम सरोली के ख0नं0 1290 में से लम्बाई 43 मीटर व चौड़ाई 9.14 मीटर यानि क्षैत्रफल 393.02 वर्ग मीटर के लिए डीएलसी दर 1439532/-रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार दुगनी दर से प्रतिकर राशि 113155/-रूपये अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, मौके पर चिन्हित करे।

6.11.20

उपखण्ड अधिकारी
देवली